

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 41/2011/जयपुर.

मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड,
बी-139, रोड़ नं० 12, वी.के.आई.ए., जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज.-तृतीय, जयपुर

...प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/6/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यहारी के द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 69/अपील्स-11/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "बैट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रु. 1,18,624/-के कर की छूट विक्य बिल जारी करने के पश्चात विभिन्न केता व्यवहारियों को क्रेडिट नोट जारी करके दी गयी है, जिसके कारण कर राशि कम जमा करवायी गयी है। सहायक आयुक्त, विशेष वृत्, राजस्थान वृत्, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.03.2010 पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्य बिल जारी करने के पश्चात दिये गये डिस्काउंट को अधिनियम की धारा 2 (36) के स्पष्टीकरण द्वितीय के

अनुसार अमान्य किया गया है तथा इसी कम में ब्याज का आरोपण कर रु. 1,65,194/-की मांग सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील स्वीकार कर सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रचलित प्रथा के अनुसार विक्रय बिल जारी करने के पश्चात जरिए क्रेडिट नोट्स डिस्काउण्ट को कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया है, जिसके कारण अपीलार्थी व्यवहारी ने आरोपित कर रु. 1,18,624/-जमा कराया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री किये गये माल के जारी बिलों में जो राशि दर्शायी गयी है वह कर सहित है और अपीलीय अधिकारी ने निर्णय करते समय अधिसूचना संख्या (S.NO. 1871) एफ.4/67/एफडी/टैक्स/2004-06 दिनांक 12.07.2004 में निर्धारित फोर्मूला के अनुसार कर निर्धारण आदेश में अबेटड रिटेल प्राइस पर कर की गणना नहीं किये जाने पर भी आपत्ति प्रस्तुत की है। व्यवहारी के अभिभाषक ने अभिवाक किया कि क्रेडिट नोट्स व्यवहारी द्वारा MRP वैल्यू पर जारी किये गये थे और इन बिक्री बिलों पर वेट राशि दर्ज थी तथा राशि को कम करने के लिए क्रेडिट नोट्स जारी किये गये थे। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अविधिक होने का कथन करते हुए उसे अपास्त करने का निवेदन किया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा देय कर रु. 29846652/-के विरुद्ध रु. 29529193/- ही जमा कराया गया गया है, इस प्रकार रु. 317459/-कम जमा कराए है, जिसका कारण पूछने पर सूचित किया गया है कि उक्त कम जमा राशि विक्रय वापसी के कारण है अतः कर राशि रु. 198835/-का बाद आंशिक जमा समायोजन देय माना है। इसी प्रकार व्यवसायी द्वारा कर रु. 120325/-के कर की छूट बिल जारी करने के पश्चात क्रेडिट नोट्स जारी करके व्यवहारियों को दी गई है। वेट अधिनियम की धारा 2 (36) के स्पष्टीकरण—।। के अनुसार बिल जारी करने के पश्चात किसी भी प्रकार की छूट

स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त राशि रु. 120325/- में से रु. 1701/- बिल केन्कसीलेशन के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने छूट स्वीकार की है, शेष राशि रु. 1,18,624/- की छूट अस्वीकार की है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने इस अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या (S.NO. 1871) एफ. 4/67/एफडी/टैक्स/2004-06 दिनांक 12.07.2004 में निर्धारित फोर्मूला के अनुसार कर निर्धारण आदेश में अबेटड रिटेल प्राईस पर कर की गणना नहीं किये जाने पर भी आपत्ति प्रस्तुत की है।

इस सन्दर्भ में रिकार्ड से अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2010 में इस बिन्दु को विवादित करने का जिक्र नहीं है और ना ही उन्होंने इसे उस समय उठाया था। इस उक्त अधिसूचना हस्तगत प्रकरण में प्रासांगिक नहीं है।

इसके अतिरिक्त व्यवहारी अपीलार्थी का हस्तगत प्रकरण उसके द्वारा दिये गये सेल डिस्काउण्ट के आधार के आधार पर विक्रय मूल्य कम करना रहा है, जिसके पेटे उसके द्वारा Ex-Post डिस्काउण्ट करके क्रेडिट नोट्स जारी किये किये जो विधि सम्मत नहीं है।

अपीलार्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि में विक्रय बिल जारी करने के पश्चात विभिन्न क्रेता व्यवहारियों को क्रेडिट नोट्स के जरिए कर से छूट प्रदान की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार दिये गये डिस्काउण्ट को अमान्य कर इसे विक्रय मूल्य का भाग माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये (ex-post facto) डिस्काउण्ट को अस्वीकार किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2 (36) को उद्धरित करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :—

(36) “**sale price**” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. — In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;


Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उपर्युक्त अंकित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि विक्रय के समय बिल जारी करते समय नकद व्यापार डिस्काउण्ट विक्रय कीमत में से कम किया जा सकता है परन्तु बिल जारी करने के पश्चात बाद में भूतलक्षी प्रभाव (*ex-post facto*) से दिये गये कोई भी डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि को विक्रय कीमत में से कम नहीं किया जा सकता।"

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से डिस्काउण्ट दिया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विस्तृत का विवेचन करते हुए विधिक प्रावधानों एवं माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मद्रास सीमेन्ट बनाम सहायक आयुक्त (147 एस टी सी 626) में प्रतिपादित मत के सारगम्भित अंशों को उद्धरित करते हुए भूतलक्षी प्रभाव *ex-post facto* से दिये गये डिस्काउण्ट को अविधिक माना है, जिसमें हस्तक्षेप करने कोई औचित्य नजर नहीं आता है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2010 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य